

मैसर्स क्वाड्रॉन बिजनेस पार्क प्रा. लिमिटेड- एसईजेड, हिंजेवाडी, पुणे के आईटी/आईटीईएस सेक्टर के विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास आयुक्त सीपज़-एसईजेड, मुंबई की अध्यक्षता में 04.09.2026 को आयोजित 98 वीं अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।		
1	एसईजेड का नाम	मैसर्स क्वाड्रॉन बिजनेस पार्क प्रा. लिमिटेड- एसईजेड, पुणे
2	सेक्टर	आईटी/आईटीईएस
3	बैठक संख्या	98 वीं
4	तारीख	04.09.2026

उपस्थित सदस्य

क्र.	नाम एवं पदनाम(श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्रीमती मितल हिरेमठ, संयुक्त विकास आयुक्त	पुणे क्लस्टर एसईजेड, पुणे
2	श्री. सुनील कुमार, उप आयुक्त, आयकर विभाग	आयकर विभाग से नामित
3	श्री. संजीव पाटिल, उद्योग अधिकारी, पुणे क्षेत्र	महाराष्ट्र सरकार से नामित
4	श्री. प्लेटो लोबो, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशक	पुणे डीजीएफटी विभाग से नामित
5	श्रीमती सुषमा कुंभार, क्षेत्रीय अधिकारी	महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नामित
6	श्री. मुकेश कुमार, अधीक्षक	सीमा शुल्क विभाग, पुणे से नामित

विशेष आमंत्रित

क्र.	नाम एवं पदनाम(श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्री. सचिन पाटील, विनिर्दिष्ट अधिकारी	सीपज़-एसईजेड, पुणे क्लस्टर

एजेंडा विषय क्र. 01 : दिनांक **07.05.2026** को आयोजित **97 वीं बैठक** के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने **07.05.2026** को आयोजित 97 वीं अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

एजेंडा विषय क्र. 02: दिनांक **07.05.2026** को आयोजित **97 वीं बैठक** के कार्यवृत्त के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 07.05.2026 को आयोजित बैठक के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट नोट की है।

एजेंडा विषय क्र. 03: मैसर्स बर्चटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नई इकाई स्थापित करने हेतु आवेदन ।

समिति ने कंपनी द्वारा एसईजेड इकाई स्थापित किए जाने के उपरांत निर्यात की जाने वाली प्रस्तावित सेवा, अर्थात् ऑनलाइन वीडियो कंटेंट (Online Video Content) (SAC-998433), के संबंध में विचार-विमर्श किया तथा इस विषय पर भी चर्चा की कि कैसीनो-शैली के टेबल गेम्स (casino-style table games) से संबंधित डिजिटल कंटेंट के उत्पादन की प्रस्तावित गतिविधि का भारत में उपभोग अथवा उपयोग किया जाएगा या नहीं।

इकाई के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि प्रस्तावित यूनिट पूर्णतः अपनी होल्डिंग कंपनी, **मैसर्स मैपल मीडिया होल्डिंग्स लिमिटेड** (M/s. Maple Media Holdings Ltd.) तथा अराइज़ लाइव (ARRISE Live) समूह की अन्य विदेशी संस्थाओं को डिजिटल कंटेंट सेवाओं के निर्यात के लिए समर्पित होगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि **मैसर्स बर्चटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड** द्वारा प्रेषित कच्ची लाइव फीड (Raw Live Feed), विदेश स्थित अराइज़ (ARRISE) संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले इनपुट्स में से केवल एक इनपुट होगी। उक्त विदेशी संस्थाएँ इस कच्ची लाइव फीड को अपने तकनीकी संसाधनों एवं बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) के साथ ग्रहण (ingest), रूपांतरित (transform) एवं संयोजित (combine) कर अंतिम उत्पाद (Final Product) तैयार करेंगी, जिसे आगे किसी तृतीय पक्ष अर्थात् उनके विदेशी ग्राहकों को वितरित किया जाएगा। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इन विदेशी ग्राहकों के ग्राहक/अंतिम उपयोगकर्ता (End-user Players), जो अंतिम उत्पाद के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, में से कोई भी भारत में स्थित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि भारत में स्थित उपयोगकर्ताओं को प्रस्तावित सेवाओं अर्थात् कच्ची लाइव फीड, उससे तैयार होने वाली किसी भी मध्यवर्ती सामग्री (Intermediary Content) तथा स्टूडियो से प्राप्त कच्ची लाइव फीड का उपयोग करके तैयार की गई अंतिम सामग्री (Final Content) तक पहुँच अथवा उपलब्धता सुनिश्चित न हो, इसके लिए विदेशी तृतीय-पक्ष ऑपरेटरों पर संविदात्मक प्रतिबंध (Contractual Restrictions), जियो-ब्लॉकिंग (Geo-blocking) जैसी तकनीकी व्यवस्थाएँ तथा अन्य उपयुक्त उपाय लागू किए

जाएंगे।

यूनिट के प्रतिनिधियों ने यह भी स्पष्ट किया कि **मैसर्स बर्चटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड** भारत में प्रत्यक्ष रूप से जुआ (Gambling) अथवा इस प्रकार की किसी अन्य संबंधित गतिविधि में संलग्न नहीं है। समिति ने यूनिट को इस संबंध में एक विधिवत् प्रतिज्ञा-पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

समिति ने प्रस्तावित गतिविधि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment – FDI) की अनुमेयता के संबंध में भी विचार-विमर्श किया। इस संबंध में प्रचलित FDI नीति तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों/विनियमों के अनुसार FDI की अनुमेयता तथा FDI नीति के अध्याय 5.1, जो प्रतिबंधित क्षेत्रों (Prohibited Sectors) से संबंधित है, में निर्धारित प्रतिबंधों की वर्तमान प्रस्ताव पर प्रयोज्यता पर चर्चा की गई। इकाई के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत किया कि कंपनी की गतिविधियाँ पूर्णतः निर्यातानुमुख होंगी तथा भारत में एक स्टूडियो की स्थापना एवं उसके संचालन तक सीमित रहेंगी, जो भारत से अपनी समूह कंपनियों को रॉ लाइव वीडियो फीड (raw live video feed) के सृजन एवं निर्यात का कार्य करेगा तथा प्रस्तावित गतिविधियों में भारत में किसी भी प्रकार का जुआ (gambling), सट्टेबाजी (betting), कैसीनो संचालन (casino operations) अथवा इस प्रकार की कोई अन्य गतिविधि शामिल नहीं होगी। अतः, उनके अनुसार, FDI नीति के अध्याय 5.1 में निर्धारित प्रतिबंध प्रस्तावित गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे और कंपनी द्वारा FDI प्राप्त किए जाने में बाधक नहीं होंगे।

समिति ने निर्देशित किया कि वर्तमान प्रस्ताव पर FDI नीति के अध्याय 5.1 के प्रावधानों की प्रयोज्यता का परीक्षण किया जाए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इकाई द्वारा की जाने वाली संपूर्ण सेवा गतिविधि का निर्यात किया जाना प्रस्तावित है तथा उसका भारत में उपभोग अथवा उपयोग नहीं किया जाना है।

समिति ने आगे निर्देशित किया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 9(2)(c) के प्रावधानों की प्रस्तावित नई इकाई पर प्रयोज्यता का भी परीक्षण किया जाए, विशेष रूप से इस दृष्टि से कि क्या प्रचलित FDI नीति के अंतर्गत Automatic Route के तहत अनुमत FDI प्रस्ताव पर भी उक्त प्रावधान के अंतर्गत विचार किया जाना आवश्यक होगा।

विचार-विमर्श के उपरांत, समिति ने उपर्युक्त दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव की जांच किए जाने के अधीन, **मैसर्स बर्चटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (M/s. Birchtech (India) Pvt. Ltd.)** द्वारा मैसर्स क्वाड्रॉन बिजनेस पार्क प्रा. लिमिटेड- एसईजेड (M/s. Quadron Business Park Pvt. Ltd.-SEZ) में नई इकाई स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 17 एवं 18 के अंतर्गत अनुमोदित किया, इस शर्त के अधीन कि सेवाओं की भारत में कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष बिक्री नहीं की जाएगी। उक्त अनुमोदन इस शर्त के अधीन भी होगा कि प्रचलित FDI नीति, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA), तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा समय-समय पर जारी वर्तमान विनियमों, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

अनुमोदित प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है :

स्थान	ब्लॉक Q2 की अपर ग्राउंड फ्लोर, प्रथम तल, द्वितीय तल और तृतीय तल, प्लॉट नं. 28, मैसर्स क्वाड्रॉन बिजनेस पार्क प्रा. लिमिटेड-एसईजेड, राजीव गांधी इन्फो टेक पार्क, फेज़-II, हिंजवड़ी, पुणे – 411057		
क्षेत्र	23,960 वर्ग मीटर		
निर्मित किए जाने वाले उत्पाद / प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।	क्रम सं.	आइटम(स) का विवरण	ITC/CPC
	1	ऑनलाइन वीडियो कंटेंट	CPC-84332 & SAC -998433
पूर्वानुमान, वर्षवार प्लॉट एवं मशीनरी / पूंजीगत वस्तुओं में निवेश (राशि रु. करोड़ में)			
स्वदेशी	333.09		
आयातित	31.84		
कुल	364.93		
सेवाएँ			
स्वदेशी	87.59		

आयातित	1208.87
कुल	1296.46
रोज़गार	कुल 2998 (पुरुष - 1499, महिला – 1499)

प्रथम ब्लॉक अवधि के लिए अनुमोदित अनुमान

(राशि रु. करोड़ में)

	1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th	Total	US \$ '000
निर्यात का एफओबी मूल्य	144.59	651.23	712.62	714.92	714.92	2938.28	308318.57
विदेशी मुद्रा खर्च	47.89	69.81	57.91	51.44	49.26	276.31	28992.81
शुद्ध विदेशी मुद्रा	98.70	581.42	654.71	633.48	665.66	2661.97	279325.76

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

Minutes of the 98 th Meeting of the Approval Committee held under the Chairmanship of Zonal Development Commissioner SEEPZ-SEZ for Sector Specific Special Economic Zone for IT-ITES of M/s. Quadron Business Park Pvt. Ltd.-SEZ, Hinjewadi Phase-II, Pune, held on 04.09.2026.		
1	Name of the SEZ	M/s. Quadron Business Park Pvt. Ltd.-SEZ, Pune
2	Sector	IT-ITES
3	Meeting No.	98 th
4	Date	04.09.2026

Members present:

Sr No	Name and Designation (Smt./Shri)	Department
1	Smt. Mital Hiremath, Jt. Development Commissioner	Pune Cluster SEZ, Pune
2	Shri. Sunil Kumar, Dy. Commissioner, Income Tax	Nominee of Income Tax, Pune
3	Shri. Sanjiv Patil, Industries Officer, Pune Region	Nominee of Govt. of Maharashtra
4	Shri. Plato Lobo, Asstt. Director General of Foreign Trade	Nominee of DGFT, Pune
5	Smt. Sushma Kumbhar, Field Officer	Nominee of Maharashtra Pollution Control Board
6	Shri. Mukesh Kumar, Superintendent	Nominee of Customs, Pune

Special Invitee:

Sr	Name and Designation (Smt./Shri)	Department
1	Shri. Sachin Patil, Specified Officer	SEEPZ-SEZ, Pune Cluster

Agenda Item No.01: Confirmation of Minutes of the 97th meeting held on 07.05.2026.

After deliberation, the Committee confirmed the minutes of the 97th meeting of the Approval Committee held on 07.05.2026.

Agenda Item No.02: Action taken report for the Minutes of the 97th meeting held on 07.05.2026

After deliberation, the Committee has noted the Action taken report for the meeting held on 07.05.2026.

Agenda Item No. 03: Application for Setting up of New Unit M/s. Birchtech (India) Pvt. Ltd.

The Committee deliberated upon the service proposed to be exported by the Company upon setting up of the SEZ Unit, namely, Online Video Content (SAC-998433), and whether the proposed activity involving production of digital content relating to casino-style table games would be consumed or utilised in India. The representatives of the Unit submitted that the proposed Unit would be exclusively dedicated to the export of digital content services to its holding company, M/s. Maple Media Holdings Ltd. and other overseas entities of ARRISE Live group. They submitted that the raw live feeds transmitted by M/s. Birchtech (India) Pvt. Ltd. will constitute only one of the inputs used by the overseas ARRISE entities who will ingest, transform and combine with technology and intellectual property to create the final product for onward distribution to a third party i.e. their overseas clients where law allows. Further, the end-user players, who are the customers of these clients and may interact with the final product. None of such players will be based in India. Further, they submitted that appropriate measures such as contractual restrictions on overseas third-party operators, technology measures like Geo-blocking, etc. will be implemented to ensure that the proposed services i.e. raw live feed, any intermediary content as well as the final content created using the raw live feed from the Studio will not be made available and will be inaccessible to users based in India.

The representatives of the Unit added that M/s. Birchtech (India) Pvt. Ltd. are not directly involved in gambling or any such related activities in India. The Committee directed the Unit to submit an Undertaking to this effect.

The Committee also discussed about the permissibility of Foreign Direct Investment (FDI) in the proposed activity under the prevailing FDI Policy and the extant guidelines/regulations issued by the Reserve Bank of India (RBI), as well as the applicability of the restrictions prescribed under Chapter 5.1 of the FDI Policy relating to Prohibited Sectors. The representatives of the Unit submitted that the activities of the Company would be exclusively export-oriented and would be limited to the establishment and operation of a Studio engaged in the creation and export of raw live video feed from India to its group companies. They further submitted that the proposed activities would not involve any gambling, betting, casino operations or any other similar activity in India. Accordingly, it was submitted that the restrictions prescribed under Chapter 5.1 of the FDI Policy is for services consumed in India and It would not be applicable to the proposed activities and would not restrict the Company from receiving FDI that means the FDI will received through automatic route.

The Committee directed that the applicability of the provisions of Chapter 5.1 of the FDI Policy to the present proposal be examined, particularly in view of the fact that the entire service activity proposed to be undertaken by the Unit would be exported and would not be consumed or utilised in India.

The Committee further directed that the applicability of the provisions of Section 9(2)(c) of the Special Economic Zones Act, 2005 to the proposed new Unit be examined, as to whether an FDI proposal falling under the Automatic Route under the prevailing FDI Policy would also require consideration under the said provision. But Section 9(2)(c) is not applicable because the FDI in this case receive through automatic route hence need not required any permission for the same.

After deliberation, the Committee subject to the examination of the proposal as per the directions given above, approved the proposal of M/s. Birchtech (India) Pvt. Ltd. for setting up of a new unit in M/s. Quadron Business Park Pvt. Ltd.-SEZ, in terms of Rule 17 & 18 of SEZ Rules, 2006 subject to the condition that there will be no direct or indirect sale of services in India. The approval shall further be subject to compliance with the provisions of the prevailing FDI Policy, the Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), and the extant regulations, instructions and guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time.

The details of the approved proposal are as under:

Location	Upper Ground Floor, First Floor, Second Floor and Third Floor of Block Q2, Quadron Business Park Pvt. Ltd.-SEZ, Plot no. 28, Rajiv Gandhi Info Tech Park, Phase-II, Hinjewadi, Pune-411057.		
Area	23,960 Sq. Mtrs.		
Product to be manufactured /Service to be rendered.	Sr. No.	Item(s) Description	ITC/CPC
	1	Online Video Content	CPC-84332 & SAC - 998433
PROJECTIONS, YEAR-WISE			
Investment in Plant & Machinery / Capital Goods (Amt. Rs. in Crs.)			
Indigenous	333.09		
Imported	31.84		
TOTAL	364.93		
Services			
Indigenous	87.59		
Imported	1208.87		
TOTAL	1296.46		
Employment	Total 2998 (Male - 1499, Female – 1499)		

Approved Projections for 1st Block Period

(Amt. Rs. In Crores)

	1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th	Total	US \$ '000
FOB Value of Exports	144.59	651.23	712.62	714.92	714.92	2938.28	308318.57
FE outgo	47.89	69.81	57.91	51.44	49.26	276.31	28992.81
NFE	98.70	581.42	654.71	633.48	665.66	2661.97	279325.76

Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

(ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयएसएस)
(Dnyaneshwar B. Patil, IAS)
अध्यक्ष-सह- विकास आयुक्त
Chairman-cum- Development Commissioner